



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-सा.-31102020-222867
CG-DL-W-31102020-222867

साप्ताहिक/WEEKLY
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 44] नई दिल्ली, शनिवार, अक्तूबर 31—नवम्बर 6, 2020 (कार्तिक 9, 1942)
No. 44] NEW DELHI, SATURDAY, OCTOBER 31—NOVEMBER 6, 2020 (KARTIKA 9, 1942)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।
(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

विषय-सूची

पृष्ठ सं.

पृष्ठ सं.

भाग I—खण्ड-1—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमों, विनियमों, आदेशों तथा संकल्पों से सम्बन्धित अधिसूचनाएं.....	729
भाग I—खण्ड-2—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई सरकारी अधिकारियों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों, छुट्टियों आदि के सम्बन्ध में अधिसूचनाएं.....	719
भाग I—खण्ड-3—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए संकल्पों और असांविधिक आदेशों के सम्बन्ध में अधिसूचनाएं.....	7
भाग I—खण्ड-4—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की गई सरकारी अधिकारियों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों, छुट्टियों आदि के सम्बन्ध में अधिसूचनाएं.....	1683
भाग II—खण्ड-1—अधिनियम, अध्यादेश और विनियम.....	*
भाग II—खण्ड-1क—अधिनियमों, अध्यादेशों और विनियमों का हिन्दी भाषा में प्राधिकृत पाठ.....	*
भाग II—खण्ड-2—विधेयक तथा विधेयकों पर प्रवर समितियों के बिल तथा रिपोर्ट.....	*
भाग II—खण्ड-3—उप खण्ड (i)—भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सामान्य सांविधिक नियम (जिनमें सामान्य स्वरूप के आदेश और उपविधियां आदि भी शामिल हैं).....	*
भाग II—खण्ड-3—उप खण्ड (ii)—भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को	

छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सांविधिक आदेश और अधिसूचनाएं.....	*
भाग II—खण्ड-3—उप खण्ड (iii)—भारत सरकार के मंत्रालयों (जिसमें रक्षा मंत्रालय भी शामिल है) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सामान्य सांविधिक नियमों और सांविधिक आदेशों (जिनमें सामान्य स्वरूप की उपविधियां भी शामिल हैं) के हिन्दी प्राधिकृत पाठ (ऐसे पाठों को छोड़कर जो भारत के राजपत्र के खण्ड 3 या खण्ड 4 में प्रकाशित होते हैं).....	*
भाग II—खण्ड-4—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए सांविधिक नियम और आदेश.....	*
भाग III—खण्ड-1—उच्च न्यायालयों, नियंत्रक और महालेखापरीक्षक, संघ लोक सेवा आयोग, रेल विभाग और भारत सरकार से सम्बद्ध और अधीनस्थ कार्यालयों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं.....	1337
भाग III—खण्ड-2—पेटेंट कार्यालय द्वारा जारी की गई पेटेंटों और डिजाइनों से सम्बन्धित अधिसूचनाएं और नोटिस.....	*
भाग III—खण्ड-3—मुख्य आयुक्तों के प्राधिकार के अधीन अथवा द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं.....	*
भाग III—खण्ड-4—विविध अधिसूचनाएं जिनमें सांविधिक निकायों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं, आदेश, विज्ञापन और नोटिस शामिल हैं.....	313
भाग IV—गैर-सरकारी व्यक्तियों और गैर-सरकारी निकायों द्वारा जारी किए गए विज्ञापन और नोटिस.....	1355
भाग V—अंग्रेजी और हिन्दी दोनों में जन्म और मृत्यु के आंकड़ों को दर्शाने वाला सम्पूर्ण.....	*

*आंकड़े प्राप्त नहीं हुए।

1—301 GI/2020

(729)

CONTENTS

	Page No.		Page No.
PART I—SECTION 1—Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court	729	by the Central Authorities (other than the Administration of Union Territories)	*
PART I—SECTION 2—Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Government Officers issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court	719	PART II—SECTION 3—SUB-SECTION (iii)—Authoritative texts in Hindi (other than such texts, published in Section 3 or Section 4 of the Gazette of India) of General Statutory Rules & Statutory Orders (including Bye-laws of a general character) issued by the Ministries of the Government of India (including the Ministry of Defence) and by Central Authorities (other than Administration of Union Territories)	*
PART I—SECTION 3—Notifications relating to Resolutions and Non-Statutory Orders issued by the Ministry of Defence.....	7	PART II—SECTION 4—Statutory Rules and Orders issued by the Ministry of Defence	*
PART I—SECTION 4—Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Government Officers issued by the Ministry of Defence	1683	PART III—SECTION 1—Notifications issued by the High Courts, the Comptroller and Auditor General, Union Public Service Commission, the Indian Government Railways and by Attached and Subordinate Offices of the Government of India	1337
PART II—SECTION 1—Acts, Ordinances and Regulations	*	PART III—SECTION 2—Notifications and Notices issued by the Patent Office, relating to Patents and Designs	*
PART II—SECTION 1A—Authoritative texts in Hindi language, of Acts, Ordinances and Regulations	*	PART III—SECTION 3—Notifications issued by or under the authority of Chief Commissioners	*
PART II—SECTION 2—Bills and Reports of the Select Committee on Bills	*	PART III—SECTION 4—Miscellaneous Notifications including Notifications, Orders, Advertisements and Notices issued by Statutory Bodies	313
PART II—SECTION 3—SUB-SECTION (i)—General Statutory Rules (including Orders, Bye-laws, etc. of general character) issued by the Ministry of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administration of Union Territories)	*	PART IV—Advertisements and Notices issued by Private Individuals and Private Bodies	1355
PART II—SECTION 3—SUB-SECTION (ii)—Statutory Orders and Notifications issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and		PART V—Supplement showing Statistics of Births and Deaths etc. both in English and Hindi	*

*Folios not received.

भाग I—खण्ड 1**[PART I—SECTION 1]**

[(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमों, विनियमों, आदेशों तथा संकल्पों से संबंधित अधिसूचनाएं]

[Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court]

वित्त मंत्रालय
(आर्थिक कार्य विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 27 अक्टूबर 2020

संकल्प

सं. 5(2)-बी(पी.डी.)/2020—आम जानकारी के लिए यह घोषित किया जाता है कि वर्ष 2020-2021 के दौरान सामान्य भविष्य निधि तथा उसी प्रकार की अन्य निधियों के अभिदाताओं की कुल जमा रकमों पर दी जाने वाली ब्याज दर 1 अक्टूबर, 2020 से 31 दिसंबर, 2020 तक 7.1% (सात दशमलव एक प्रतिशत) होगी। यह दर 1 अक्टूबर, 2020 से लागू होगी। संबंधित निधियां निम्नलिखित हैं:

1. सामान्य भविष्य निधि (केंद्रीय सेवाएं)।
 2. अंशदायी भविष्य निधि (भारत)।
 3. अखिल भारतीय सेवा भविष्य निधि।
 4. राज्य रेलवे भविष्य निधि।
 5. सामान्य भविष्य निधि (रक्षा सेवाएं)।
 6. भारतीय आयुध विभाग भविष्य निधि।
 7. भारतीय आयुध कारखाना कामगार भविष्य निधि।
 8. भारतीय नौसेना गोदी कामगार भविष्य निधि।
 9. रक्षा सेवा अधिकारी भविष्य निधि।
 10. सशस्त्र सेना कार्मिक भविष्य निधि।
2. आदेश दिया जाता है कि यह संकल्प भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाए।

रजत कुमार मिश्र
संयुक्त सचिव

श्रम और रोजगार मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 20 अक्टूबर 2020

सं. क्यू-16012/1/2020-ईएसए(डब्ल्यूई)—जबकि दत्तोपंत ठेंगड़ी राष्ट्रीय श्रमिक शिक्षा और विकास बोर्ड (पूर्ववर्ती केन्द्रीय श्रमिक शिक्षा बोर्ड) को सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम, 1860 (1860 का XXXI) के अंतर्गत 1958 में स्थापित किया गया था।

और जबकि दत्तोपंत ठेंगड़ी राष्ट्रीय श्रमिक शिक्षा और विकास बोर्ड, (डीटीएनबीडब्ल्यूईडी) के नियमों एवं विनियमों का नियम 3 इसके गठन का उपबंध करता है।

इसलिए, अब उक्त नियम 3 के अनुसरण में और इस विषय पर पूर्व की अधिसूचना के अधिक्रमण में भारत सरकार एतद्वारा दत्तोपंत ठेंगड़ी राष्ट्रीय श्रमिक शिक्षा और विकास बोर्ड, (डीटीएनबीडब्ल्यूईडी) का पुनर्गठन करती है और जनता की सूचना के लिए अधिसूचित करती है कि पुनर्गठित सोसाइटी में निम्नलिखित व्यक्ति शामिल होंगे, अर्थात् :—

1.	श्री हिर्नमया जे पाण्ड्या	:	अध्यक्ष (अध्यक्ष, डीटीएनबीडब्ल्यूईडी का कार्यकाल दिनांक 13.09.2021 तक मान्य है)
भारत सरकार के प्रतिनिधि			
2.	अपर सचिव/संयुक्त सचिव, श्रम और रोजगार मंत्रालय (जो मंत्रालय में डीटीएनबीडब्ल्यूईडी का कार्य देख रहे हैं)		सदस्य
3.	अपर सचिव एवं वित्त सलाहकार, श्रम और रोजगार मंत्रालय		सदस्य
4.	संयुक्त सचिव, स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग, शिक्षा मंत्रालय या उनके द्वारा मनोनीत प्रतिनिधि।		सदस्य
कामगार संगठनों के प्रतिनिधि			
5.	श्री जगदीश जोशी अखिल भारतीय वित्तीय सचिव, बीएमएस, दत्तोपंत ठेंगड़ी भवन, 27, दीनदयाल उपाध्याय मार्ग, नई दिल्ली मोबाईल: 9868266551 ई-मेल:- joshibms@gmail.com	:	सदस्य
6.	श्रीमति नीता चौबे अखिल भारतीय सचिव, बीएमएस, प्लॉट सं. 23, भगवाघर ले आउट, धरमपेठ, नागपुर मोबाईल: 9881497640 ई-मेल: nvchobe@gmail.com	:	सदस्य
7.	श्री सुकुमार दामले अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन काँग्रेस (एआईटीयूसी) मोबाईल: 9869201422, ई-मेल: sukumar.damle@gmail.com	:	सदस्य
8.	श्री सुधाकर आर अपराज, (एचएमएस) महासचिव, मुंबई पोर्ट ट्रस्ट, गोदी और सामान्य कर्मचारी संघ, पोर्ट ट्रस्ट कामगार सदन नवाब टंक रोड, मझगाँव, मुंबई-400010 मोबाईल: 09819119404 ई-मेल: sudhakarapraj@gmail.com	:	सदस्य
9.	महासचिव, सीटू या उनके द्वारा मनोनीत प्रतिनिधि	:	सदस्य
10.	श्री के. सोमाशेखर, उपाध्यक्ष, अखिल भारतीय समिति, अखिल भारतीय यूनाइटेड ट्रेड यूनियन केंद्र (एआईयूटीयूसी)	:	सदस्य

	एआईयूटीयूसी कार्यालय 195/16, संदगी कम्पाउन्ड, बेल्लारी, कर्नाटक मोबाईल: 9448040940 ई-मेल: somasekharutuc@yahoo.co.in		
नियोक्ता संगठन के प्रतिनिधि			
11.	श्री अतुल सोबती डीजी, स्कोप स्कोप कॉम्प्लेक्स, कोर-8, प्रथम तल, 7 लोधी रोड, नई दिल्ली दूरभाष-011-24362604 ई-मेल: scopedg@yahoo.com	:	सदस्य
12.	महासचिव ईएफआई या उनके द्वारा मनोनीत प्रतिनिधि	:	सदस्य
13.	अध्यक्ष एआईएआई या उनके द्वारा मनोनीत प्रतिनिधि	:	सदस्य
14.	डॉ. उदय चंद्र सुवर्णा राष्ट्रीय अध्यक्ष, फेडरेशन ऑफ एसोसिएशन ऑफ स्मॉल इंडस्ट्रीज़ ऑफ इंडिया (एफएएसआईआई) मेसर्स ज्योति एलेक्ट्रिकल्स, सुवर्णा एन्क्लेव (iv तल), ब्रूनटन रोड, कार्यालय: एम.जी. रोड, बेंगलोर मोबाईल: 9448059433 ई-मेल: udaysuvarna56@gmail.com	:	सदस्य
15.	प्रमोद कुमार सिंघानिया अध्यक्ष, भारतीय लघु उद्योग परिषद (आईसीएसआई) फ्लैट सं. 2एफ, ब्लॉक-11, क्लब टाउन हाउसिंग कॉम्प्लेक्स, वीआईपी रोड, कोलकाता मोबाईल: 98310598823, ई-मेल: promod.singhania1950@gmail.com	:	सदस्य
16.	श्री राजेन्द्र प्रसाद सिंह अध्यक्ष, आईआर और एचआर समिति पीएचडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इंडस्ट्री पीएचडी हाउस, 4/2 सिरी इन्स्ट्रूक्शनल एरिया, अगस्त क्रांति मार्ग, नई दिल्ली दूरभाष-011-42592606, 49545454 ई-मेल: rpsingh@iffco.in	:	सदस्य
विश्वविद्यालय के प्रतिनिधि			
17.	प्रो. गणेश कवाडिया, अर्थशास्त्र के सेवानिवृत्त प्रोफेसर, देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, इंदौर 517, सिद्धि विनायक रेसिडेंस न्यू माली कालोनी, उदयपुर मोबाईल: 9425352521 ई-मेल: ganesh.kawadia@gmail.com	:	सदस्य

राज्य सरकारों के प्रतिनिधि			
18.	श्रम सचिव, पश्चिम बंगाल या राज्य सरकार द्वारा मनोनीत प्रतिनिधि	:	सदस्य
19.	श्रम सचिव, त्रिपुरा या राज्य सरकार द्वारा मनोनीत प्रतिनिधि	:	सदस्य
20.	थिरु डॉ. आर. नंथगोपाल, आई.ए.एस. श्रमायुक्त, डीएमएस कॉम्प्लेक्स, टेनमपेट, चेन्नई दूरभाष- 044-24321302 ई-मेल: com.tnlabour@nic.com	:	सदस्य
21.	डॉ. सुमन वैष्णव सहायक प्रोफेसर (मनोविज्ञान) महात्मा गांधी श्रम संस्थान (एमजीएलआई), ड्राइव-इन-रोड, मेमनगर, अहमदाबाद मोबाईल: 9825307272 ई-मेल: svaishnavmgli@gmail.com	:	सदस्य
22.	महा-निदेशक, डीटीएनबीडब्ल्यूईडी	:	सदस्य सचिव

अतुल कुमार सिंह
अवर सचिव

MINISTRY OF FINANCE
(DEPARTMENT OF ECONOMIC AFFAIRS)

New Delhi, the 27th October 2020

RESOLUTION

No. 5(2)-B(PD)/2020—It is announced for general information that during the year 2020-2021, accumulations at the credit of subscribers to the General Provident Fund and other similar funds shall carry interest at the rate of 7.1% (Seven point one percent) w.e.f. 1st October, 2020 to 31st December, 2020. This rate will be in force w.e.f. 1st October, 2020. The funds concerned are:—

1. The General Provident Fund (Central Services).
 2. The Contributory Provident Fund (India).
 3. The All India Services Provident Fund.
 4. The State Railway Provident Fund.
 5. The General Provident Fund (Defence Services).
 6. The Indian Ordnance Department Provident Fund.
 7. The Indian Ordnance Factories Workmen's Provident Fund.
 8. The Indian Naval Dockyard Workmen's Provident Fund.
 9. The Defence Services Officers Provident Fund.
 10. The Armed Forces Personnel Provident Fund.
2. Ordered that the Resolution be published in Gazette of India.

RAJAT KUMAR MISHRA
Joint Secretary

MINISTRY OF LABOUR AND EMPLOYMENT

New Delhi, the 20th October 2020

No. Q-16012/1/2020-ESA(WE)—Whereas the Dattopant Thengadi National Board for Workers Education and Development, (formerly Central Board for Workers Education) was established in 1958 under the Societies Registration Act, 1860 (XXI of 1860).

AND WHEREAS Rule 3 of the Rules and Regulations of the Dattopant Thengadi National Board for Workers Education and Development, (DTNBWED) provides its constitution.

NOW, therefore, in pursuance of Rule 3 aforesaid and in supersession of the earlier Notification on the subject, Government of India hereby reconstitutes the Dattopant Thengadi National Board for Workers Education and Development (DTNBWED) and notify for information of the public that the reconstituted Society shall consist of the following persons namely:—

1.	Shri Hirnmaya J Pandya	:	Chairman (Tenure of Chairman, DTNBWED is valid upto 13.09.2021)
REPRESENTATIVES OF GOVERNMENT OF INDIA			
2.	Additional Secretary/Joint Secretary, MOL&E (looking after the work of DTNBWED in the Ministry)		Member
3.	Additional Secretary and Financial Advisor, MOL&E		Member
4.	Joint Secretary or Representative nominated by Department of School Education & Literacy, Ministry of Education.		Member

REPRESENTATIVES FROM ORGANIZATIONS OF WORKERS			
5.	Shri Jagadish Joshi All India Finance Secretary, BMS, DattopantThengadi Bhawan, 27, Deendayal Upadhyay Marg, New Delhi Mob: 9868266551 E-mail:- joshibms@gmail.com	:	Member
6.	Smt. Neeta Chobe All India Secretary, BMS, Plot No. 23, Bhagwaghar Lay Out, Dharampeth, Nagpur Mob: 9881497640 E-mail:- nvchobe@gmail.com	:	Member
7.	Shri Sukumar Damle All India Trade Union Congress (AITUC) Mob: 9869201422, E-mail:- sukumar.damle@gmail.com	:	Member
8.	Shri Sudhakar R Apraj, (HMS) General Secretary Mumbai Port Trust, Dock & General Employees' Union, Port Trust Kamgar Sadan, Nawab Tank Road, Mazagaon, Mumbai – 400010 Mob: 09819119404 E-mail: sudhakarapraj@gmail.com	:	Member
9.	General Secretary or Representative nominated by CITU	:	Member
10.	Shri K. Somasekhar, Vice- President, All India Committee, All India United Trade Union Centre (AIUTUC) AIUTUC Office 195/16, Sndagi Compound, Bellari, Karnataka Mob: 9448040940 E-mail: somasekhar_utuc@yahoo.co.in	:	Member
REPRESENTATIVES FROM ORGANIZATIONS OF EMPLOYERS			
11.	Shri Atul Sobti DG, SCOPE SCOPE Complex, Core – 8, 1 st Floor, 7 Lodi Road, New Delhi Ph- 011-24362604 E-mail:- scopedg@yahoo.com	:	Member
12.	General Secretary or Representative nominated by EFI	:	Member
13.	President or Representative nominated by AIAI	:	Member
14.	Dr. Udaya Chandra Suvarna National President, Federation of Associations of Small Industries of India (FASII) M/s. Jyothi Electricals, Suvarna Enclave (IVth floor), Brunton Road, Off: M.G. Road, Bangalore Mob: 9448059433 E-mail:- udayasuvarna56@gmail.com	:	Member
15.	Promod Kumar Singhania President, Indian Council of Small Industries (ICSI) Flat No. 2F, Block – 11, Club Twon Housing Complex, VIP Road, Kolkata Mob: 98310598823, E-mail :- promod.singhaniania1950@gmail.com	:	Member

16.	Shri Rajendra Prasad Singh Chairman, IR &HR Committee PHD Chamber of Commerce and Industry PHD House,4/2 Siri Institutional Area, August Kranti Marg,New Delhi Ph- 011-42592606, 49545454 E-mail:- rpsingh@iffco.in	:	Member
REPRESENTATIVE FROM UNIVERSITIES			
17.	Prof. Ganesh Kawadia, Retired Professor of Economics Devi AhilyaVishwavidyalaya, Indore 517, SidhiVinayak Residence New Mali Colony, Udaipur Mob: 9425352521 E-mail:- ganesh.kawadia@gmail.com	:	Member
REPRESENTATIVES FROM STATE GOVERNMENTS			
18.	Labour Secretary or Representative nominated by Government of West Bengal	:	Member
19.	Labour Secretary or Representative nominated by Government of Tripura	:	Member
20.	Thiru Dr. R. Nanthagopal, I.A.S. Commissioner of Labour, DMS Complex, Teynampet,Chennai Ph- 044-24321302 E-mail:- com.tnlabour@nic.om	:	Member
21.	Dr. Suman Vaishnav Assistant Professor (Psychology) Mahatma Gandhi labour Institute (MGLI), Drive-in-Road, Memnagar, Ahmedabad Mob:-9825307272 E-mail:- svaishnavmgli@gmail.com	:	Member
22.	Director General, DTNBWED	:	Member Secretary

ATUL KUMAR SINGH
Under Secretary